UPKJ010048492025

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।**

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–616/11/2025

कुवेर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

**29.04.2026**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण**

प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थी कुवेर सिंह की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 3A समर्थित शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.06.2025 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 02.06.2025 से परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया गया है।

संक्षेप में घटना के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में इन कथनों के साथ परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि उसके बड़े लड़के अखिलेश कुमार की शादी आदित्य कुमारी के साथ हुई थी। आदित्य कुमारी उस लड़के से कम स्नेह रखती थी, क्योंकि लड़का प्रायः बीमार रहता था, इस कारण आदित्य कुमारी उसे गाली–गलौज करके अपमानित करती तथा ताने मारती थी। दिनांक 16.03.2018 को उसके घर पर आदित्य कुमारी के भाई पुनीत कुमार व सुधीर कुमार व पिता रामशरन आए और रात्रि में रूके। काफी रात तक आदित्य कुमारी व उसके पिता व भाई व उसके लड़के के बीच काफी कहासुनी होती रही। सुबह दिनांक–17.03.2018 को पुनः कहासुनी होने लगी। रामशरन, पुनीत कुमार व सुधीर कुमार ने उसे गाली–गलौज करते हुए दो चार थप्पड़ भी मार दिए तथा आदित्य कुमारी व उसके पिता व भाई ने उसे बहुत अपमानित किया। सभी ने मिलकर कहा कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अब अगर असली बाप की औलाद हो तो मुंह न दिखाना। अखिलेश को उसकी पत्नी तथा साले व ससुर द्वारा इतना अपमानित किया गया कि वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और जहरीला पदार्थ खा लिया। उसको जैसे ही इसकी सूचना मिली वह तुरन्त अपने पुत्र को लेकर डाक्टर के यहाँ गया। अखिलेश की हालत में सुधार होने पर उसे घर ले आया। पुनः सुबह डाक्टर जितेन्द्र के पास अखिलेश कुमार को ले गया तथा इलाज दिखाकर घर लाया तथा छप्पर में तख्त पर लिटा दिया। वे लोग अपने काम में लग गए। अखिलेश कुमार की देखरेख आदित्य कुमारी कर रही थी। शाम को उन लोगों ने खाना खा पीकर लेट गए। दिनांक 18.03.2018 की रात्रि आदित्य कुमारी चिल्लाने लगी कि उसके पति की मृत्यु हो गई। सुबह आदित्य कुमारी के पिता भाईयों ने आनन फानन अखिलेश कुमार का अंतिम संस्कार करा दिया तथा उसकी मृत्यु की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। डाक्टर के कथनानुसार ठीक स्थिति में था, सम्भव है कि आदित्य कुमारी ने उसकी रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दी है। आदित्य कुमारी उसकी पत्नी का समस्त जेवर व अपना सारा जेवर एवं घर में रखे 39,000/–रूपये नकद लेकर अपने मायके चली गई तब से आज तक नहीं आई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है तथा जो तथ्य परिवाद में है उसके अनुसार या तो

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.04.29 16:50:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Kannauj

अखिलेश को आत्महत्या के लिए उकसाया गया तथा अखिलेश द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की गई तथा जब वह डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। ऐसे अपराध के मामले में परिसीमा अधिनियम के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

सुना। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्कों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया था। जबकि विवेचना के बाद प्रकरण में अन्तिम आख्या पुलिस द्वारा प्रेषित की गई तथा परिवादी द्वारा विरोध याचिका के आधार पर मामला परिवाद संख्या–127/2023 में दर्ज किया गया, जिसे परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण निरस्त किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 02.06.2025 में इस तथ्य का संज्ञान लिया गया है कि विपक्षीगण द्वारा मात्र मृतक अखिलेश को यह कहा गया कि **" चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ "** जो कि प्रथम दृष्टया उत्प्रेरण की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि पत्रावली पर मृतक का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मृतक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। स्वयं परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि यह संभव है कि अखिलेश की हत्या की गई हो।

विरोध याचिका को परिवाद के रूप में वर्ष 2023 में दाखिल किया गया तथा दिनांक 02.06.2025 तक परिवादी द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जब न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2025 को आदेश पारित किया गया तो उसके विरूद्ध भी समय से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दाखिल किया गया है उसमें प्रार्थी द्वारा मात्र यह कहा गया कि वह बयान अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज कराने के उपरान्त बीमार हो गया था जिस कारण उसे प्रश्नगत आदेश की जानकारी नहीं हुई। जब उसे प्रश्नगत आदेश की जानकारी हुई तो वह दिनांक 03.07.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसने नकल सवाल डलवाया और उसे दिनांक 22.07.2025 को नकल प्राप्त हो गई, किन्तु जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में उसके द्वारा दाखिल किया गया वह दिनांक 26.11.2025 को दाखिल किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.07.2025 से दिनांक 26.11.2025 तक के विलम्ब को उसके द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3A अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पोषणीय नहीं है, निरस्त किए जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3A अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रकीर्ण नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(नरेन्द्र कुमार झा )**
**सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।**
**J.O.CODE–UP02007**